

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2128]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 1, 2015/आश्विन 9, 1937

No. 2128]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2015/ASVINA 9, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2015

का.आ. 2687(अ).— केन्द्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1998 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यानों के प्रवर्ग एन 1 और एम 2 को विनिर्माताओं द्वारा गति नियंत्रक (गति प्रतिबंधक युक्तियाँ या गति प्रतिबंधक कार्य) से सज्जित करने या इसे इनमें फिट करने के लिए केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 118 के उपनियम (1) के उपबंधों से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 1 अप्रैल, 2016 की अवधि तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, छूट प्रदान करती है।

[सं. आर.टी-11017/13/2005-एम.वी.एल.]

अलकेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2015

S.O. 2687(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby exempts the N1 and M2 categories of vehicles from the provisions of sub-rule (1) of rule 118 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 for equipping or fitting with speed governor (speed limiting device or speed limiting function) by the vehicle manufacturers for a period from the date of publication of this notification till the 1<sup>st</sup> day of April, 2016 or until further orders, whichever is earlier.

[No. RT-11017/13/2005-MVL]

ALKESH KUMAR SHARMA, Jt. Secy.